भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 92

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों का अधिग्रहण

92. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी कंपनियों को धीरे-धीरे भारतीय बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को भारतीय बैंकों में 'मेजोरिटी शेयरधारिता' प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): मौजूदा दिशानिर्देशों/विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम 2019 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा क्रमशः 20% और 74% है। एफडीआई को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए गैर-ऋण वित्तीय संसाधन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सतत पूंजी उपलब्ध कराता है और यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कार्यनीतिक क्षेत्रों के विकास, अधिक नवाचार, प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन में योगदान देता है और त्वरित आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल को पूरक बनाता है

*****